न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15 / 2022(2022 / 94)

कल्याण पुत्र नारायण जाति बलाई निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकड़ी

—प्रतिवादी

उपस्थित:—

श्री शिवप्रसाद पाराशर – वकील वादी
पेरोकार सरकार – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए. राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

आदेश

दिनांक 29.3.2022

पत्रावली आज दिनांक 29.3.2022 को पेश हुई वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हुये। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:—

वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट पेश कर निवेदन किया वादी केकडी का मूल व स्थायी निवासी है। वादी काश्तकार व्यक्ति है तथा वादी की खातेदारी कृषि आराजीयात वाके ग्राम मेवदाकलां तहसील केकड़ी में स्थित है। आराजी का विवरण निम्न प्रकार से हे।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नंबर	रकवा	किस्म
73—15	2	1.94है.	बारानी 1

उपरोक्त वर्णित आराजी वादी की खातेदारी की आराजी है जिसमें वादी का नाम खातेदारी काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में आने जाने का रास्ता 01 रकवा 0.47है. से होता हुआ मुख्य सड़क पर जाता है उक्त आराजी खसरा नंबर 01 सिवायचक दर्ज है उक्त मुख्य सडक के मध्य ख.नं. 01 स्थित है तथा मुख्य सडक से उक्त सिवायचक ख.नं. से होते हुये वादी अपनी खातेदारी की आराजी में आते जाते है तथा उक्त रास्ते के अलावा वादी के अपने खातेदारी की आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है उक्त वर्णित आराजी को वादी उक्त रास्ता जो की सिवायचक ख. नं. 01 में स्थित है से होकर जाकर ही अपनी आराजी को काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त वाद वर्णित आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है उक्त रास्त को राजस्व रिकोर्ड मे तरमीम किया जाकर वादी को ख.नं. 01 से 30 फिट का रास्ता अपनी खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु दिलवाया जाना न्योयोचित एंव आवश्यक है। दिनांक 05.3.2022 को वादी ने ख.नं. 01 में से रास्ता राजस्व रिकोर्ड में तरमीम करने हेतु प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.06 10:38:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकार की कार्यवाही नही कर न्यायालय में चाराजोही करने व वाद प्रस्तुत करने का कहते हुये भी पार्थना पत्र पर कार्यवाही नही की इसलिए इस वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रतिवादी द्वारा वादी को उसकी खातेदारी में आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रिकोर्ड में तरमीम नही किया जाता है तो वादी को अनेक कार्यवाही व परेशानियों का सामना करना पडेगा इसलिए वादी को उनकी खातेदारी की वाद वर्णित आराजीयात पर आने जाने हेतु ख.नं. 01 से होकर 30 फिट का रास्ता दिलवाना जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। जिसके बाबत् वादीगण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार डी.एल.सी दर की राशि जमा करवाने हेतु तैयार एवं तत्पर है जिसे स्वीकार फरमाने कि प्रार्थना कि है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश कि गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

1. वादी कल्याण पुत्र नारायण बलाई निवास केकडी के ग्राम मेवदाकला खातेदार खसरा नं. 2 रकबा 1.94 हैक्टर भूमि मे आने हेतु सिवायचक खसरा नं. 1 रकबा 0.47 हैक्टर भूमि से 30 फूट चौडा रास्ता चाहा गया है।
2. वर्तमान मे प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए केकडी से एकलसिंहा जाने वाली डामरीकरण सडक से सिवायचक खसरा नं. 1 मे से रास्ता काम मे ले रहे है।
3. प्रार्थी के खेत खसरा नं. 2 रकबा 1.94हैक्टर मे जाने के लिए केकडी से एकलसिंहा सडक मार्ग से सिवायचक ख.नं. 1 रकबा 0.47 मे से आसानी रहती है
4. प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अत्यंत आवश्यक है।
5. आवेदित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।
6. खेत पर आने जाने हेतु रास्ता सिवायचक भूमि अतः प्रतिकर राशि राजकोष मे जमा करा दिया जाना उचित है।
7. प्रार्थी प्रतिकर राशि जमा कराने हेतु सहमत है।
8. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 988वर्गमीटर का डी.एल.सी दर से 103525/- प्रतिकर राशि होती है।

वरवक्त सुनवाई वादी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। वादी की आराजी ख.नं. 02 रकबा 1.94हैक्टर पर आने जाने हेतु रास्ता ख.नं. 01 रकबा 0.47हैक्टर के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता एकलसिंहा सड़क मार्ग से सिवायचक खसरा नं. 01 रकबा 0.47 मे से खातेदारी भूमि ख.नं 02 रकबा 1.94 में आने जाने हेतु रास्ता की लम्बाई 108मीटर व चौडाई 9.14 मीटर बराबर 108x9.14=987.12 लगभग 988 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आ रही है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी दर 523908/- हैक्टर है नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः विवेचन के आधार अनुसार वादी का वाद पत्र धारा अन्तर्गत 251 ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.06 10:38:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। वादी की आराजी ख.न. 02 रकबा 1.94हैक्टर पर आने जाने हेतु रास्ता ख.नं. 01 रकबा 0.47हैक्टर के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता एकलसिंहा सड़क मार्ग से सिवायचक खसरा नं. 01 रकबा 0.47 मे से खातेदारी भूमि ख.नं 02 रकबा 1.94 में आने जाने हेतु रास्ता की लम्बाई 108मीटर व चौडाई 9.14 मीटर बराबर 108x9.14=987.12 लगभग 988 वर्गमीटर की वर्तमान डी.एल.सी दर 523908रू. प्रति हैक्टर के अनुसार 988 वर्गमीटर की लागत की दुगुने 103525 रूपये प्रतिकर राशि होती है जिसका भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी खसरा नं 1 रकबा 0.47हैक्टर में से 988 वर्गमीटर सिवायचक सार्वजनिक गै.मु. रास्ते हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा वादी से उक्त 103525 रूपये वादी से वसूल कर राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम मेवदाकलां की आराजी खसरा नं. 2 में आने जाने के लिये रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एंव नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी ... (seal)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.06 10:38:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner